

No.CRR-1/11/2002/2015-JS(VRS)/FTS-4407

Government of India

Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises

Department of Public Enterprises

Public Enterprises Bhavan

Block No.14, CGO Complex,

Lodhi Road, New Delhi-110003

Dated: 26<sup>th</sup> May, 2016

## OFFICE MEMORANDUM

**Subject: Availability of skill/trade training facilities of CPSEs for training of youth.**

The National Policy for Skill Development and Entrepreneurship, 2015 targets to Skill/reskill/upskill 40 crore persons by 2022. There is challenge of huge quantitative expansion of the facilities for skill training. The Policy provides for leveraging existing infrastructure for skill training so as to quickly scale up and take skilling to remotest parts of India. Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE), Government of India is the nodal Ministry for skill development and entrepreneurship promotion in the country. It is also responsible for coordination of all skill development efforts for building the vocational and technical training framework, skill up- gradation and building of new skills not only for existing jobs but also jobs that are to be created across the country.


2. In the meeting held on 15.01.2015 at the level of the Hon'ble Prime Minister to review Skill Development, it was inter alia, minuted that ***"Infrastructure created or existing in the Government sector (even in private or corporate sector) should be brought to 24X7 usage. Vocational training may be provided in a shift system and utilize the infrastructure optimally"***. The Group of Secretaries in its presentation on Employment Generation before the Hon'ble Prime Minister has also recommended use of spare infrastructure for skilling so that available skill/trade training facilities could be utilized for training of youth. The Committee of Secretaries (CoS) in its meeting on 26.4.2016 has further advised Ministries / Departments to consider making their spare infrastructure available to Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

3. With massive infrastructure and sectoral presence over the length and breadth of country, Central Public Sector Enterprises (CPSEs) can play an important role in skill development activities. Initiatives by CPSEs are necessary to support large scale skill development reforms and programmes. CPSEs can develop systematic training, design and delivery mechanism in sync with the National Skill Qualification Framework (NSQF) aligned national skill ecosystem being created in Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, keeping in view nature of activities being carried by them or sectors they belong to.



4. In this context, CPSEs are advised to optimise use of skill development capacity for skill training and explore the possibility of sharing the training infrastructure with agencies namely, National Skill Development Corporation (NSDC), Sector Skill Councils (SSCs) etc. working under the aegis of MSDE on mutually agreed terms and conditions for skill training of youth.

5. All the Administrative Ministries/Departments are requested to issue necessary advisory to their CPSEs under their jurisdiction.

  
(J. N. Prasad)  
Director

To

All Administrative Ministries/Departments concerned with CPSEs and a copy each to:

- (i) Chief Executive of CPSEs for action on above.
- (ii) Ministry of Skill Development & Entrepreneurship, New Delhi.
- (iii) NIC Cell, DPE with a request to upload a copy at DPE's web-site under the link Guidelines/Miscellaneous.
- (iv) Guard File.



सं. सीआरआर-1/11/2002/2015-जेएस (वीआरएस)/एफटीएस-4407

भारत सरकार  
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय  
लोक उद्यम विभाग

लोक उद्योग भवन  
ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स  
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003  
दिनांक 26 मई 2016

कार्यालय ज्ञापन

**विषय: युवाओं के प्रशिक्षण के लिए सीपीएसईज़ में कौशल/व्यापार प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता।**

राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति, 2015 में वर्ष 2022 तक 40 करोड़ व्यक्तियों को कुशल बनाने/पुनः कौशल प्रशिक्षण देने/कौशल उन्नयन का लक्ष्य रखा गया है। कौशल प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं के भारी मात्रात्मक विस्तार की चुनौती है। इस नीति में कौशल प्रशिक्षण हेतु मौजूदा अवसंरचना का लाभ उठाने का प्रावधान है ताकि शीघ्रता से आगे बढ़ा जा सके और कौशल प्रशिक्षण को भारत के दूरस्थ इलाकों तक पहुंचाया जा सके। देश में कौशल विकास एवं उद्यमिता संवर्धन के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार नोडल मंत्रालय है। यह मंत्रालय व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण ढांचे के निर्माण, कौशल उन्नयन और न केवल मौजूदा रोजगारों बल्कि देश भर में सृजित किए जाने वाले रोजगारों के लिए भी नए कौशलों के निर्माण हेतु सभी कौशल विकास प्रयासों के समन्वय के लिए भी उत्तरदायी है।

2. कौशल विकास की समीक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री के स्तर पर दिनांक 15.01.2015 को आयोजित बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह नोट किया गया था कि "सरकारी क्षेत्र में (निजी या कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी) सृजित अथवा मौजूदा अवसंरचना का उपयोग 24x7 किया जाना चाहिए। शिफ्टों में व्यावसायिक प्रशिक्षण दे कर अवसंरचना का इष्टतम उपयोग किया जाना चाहिए।" माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रोजगार सृजन पर प्रस्तुतीकरण देते समय सचिवों के समूह ने कौशल प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त उपलब्ध अवसंरचना के उपयोग की सिफारिश की थी ताकि युवाओं के प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कौशल/पेशेवर प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग किया जा सके। दिनांक 26.4.2016 की बैठक में सचिवों की समिति (सीओएस) ने मंत्रालयों/विभागों को अपनी अतिरिक्त अवसंरचना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय को उपलब्ध कराने पर विचार करने की सलाह दी है।

3. देश भर में अपनी जबरदस्त अवसंरचना और क्षेत्रीय उपस्थिति के साथ केंद्रीय सरकारी उद्यम(सीपीएसई) कौशल विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वृहत स्तर पर कौशल विकास सुधारों एवं कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिए सीपीएसईज़ द्वारा पहल जरूरी है। सीपीएसईज़ अपने द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों या अपने संबंधित क्षेत्रों में राष्ट्रीय कौशल अर्हता कार्यवाही (एनएसक्यूएफ) जो कि कौशल विकास



एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा तैयार किए जा रहे राष्ट्रीय कौशल पारिस्थितिकी के अनुसरण में तैयार किया गया है, के अनुरूप क्रमबद्ध प्रशिक्षण, डिजाइन एवं डिलीवरी तंत्र विकसित कर सकते हैं।

4. इस संदर्भ में सीपीएसईज़ को कौशल प्रशिक्षण हेतु कौशल विकास क्षमता का इष्टतम उपयोग करने तथा युवाओं के कौशल प्रशिक्षण हेतु परस्पर सहमत निबंधनों एवं शर्तों पर एमएसडीई के तत्वावधान में कार्यरत एजेंसियों अर्थात् राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), क्षेत्रीय कौशल परिषदों (एसएससी) आदि के साथ अपनी प्रशिक्षण अवसंरचनाओं को साझा करने की संभावना का पता लगाने की सलाह दी गई है।

5. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अपने नियंत्रणाधीन सीपीएसईज़ को आवश्यक सलाह जारी करने का अनुरोध किया जाता है।

ज ६५२१२  
२६/०५/२०१६  
(जे.एन.प्रसाद)

निदेशक

सेवा में,

सीपीएसईज़ से संबंधित सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि:

- (i) उपर्युक्त पर कार्यवाही हेतु सीपीएसईज़ के मुख्य कार्यपालकों को
- (ii) कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नई दिल्ली
- (iii) दिशानिर्देश/विविध लिंक के अंतर्गत लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ एनआईसी प्रकोष्ठ, लोक उद्यम विभाग को
- (iv) गार्ड फाइल।